न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी, कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

पत्रावली आवेदन पत्र संख्या : 214/2012
जी0सी0एम0एस0 नं0 –2012/00052

1. इन्द्र सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 महावीर सिंह
2. सुमेर सिंह उम्र 44 वर्ष पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह।
   समस्त जाति राजपूत नि0 राणोली तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ।राज0।

प्रार्थीगण,

बनाम

1. चांद सिंह उम्र 60 वर्ष । पुत्रगण स्व0 गणेश सिंह
2. जीवराज सिंह उम्र 57 वर्ष ।
3. श्योपाल सिह उम्र 54 वर्ष ।
4. राजवीर सिंह उम्र 19 वर्ष पुत्र चांद सिंह।
5. प्रताप सिंह उम्र 20 वर्ष पुत्र श्री जीवराज सिंह
6. मनोहर सिंह उम्र 23 वर्ष पुत्र श्री श्योपाल सिंह।
   समस्त जाति राजपूत नि0 ढाणी हरनाथ जी की तन राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।
7. उप पंजीयक, पलसाना तह0 दांतारामगढ जिला सीकर ।राज0।
8. तहसीलदार, पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

अप्रार्थीगण,

उपस्थित :– 1. श्री प्रभातीलाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. ,, विजय सिंह तंवर अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अंतर्गत धारा
212 राज0काश्त0अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक ::02.01.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। आवेदन पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एंव प्रति0सं0 10 लगायत 16 की वंशावली वाद की मद सं0 2 अनुसार है,जो कल्याण सिंह के वारिसान है। इनको अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में प्राप्त कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 1464 रकबा 0.29 है0 ख0नं0 1258 रकबा 0.19 है0 ख0नं0 1260 रकबा 0.27 है0 ख0नं01453 रकबा 0.26 है0 ख0नं0 1454 रकबा 0.80 है0 ख0नं0 1455 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1456 रकबा 0.56 है0 ख0नं0 1457 रकबा 0.18 है0 ख0नं0 1458 रकबा 0.76 है0 ख0नं0 1459 रकबा 0.21है0 ख0नं0 1460 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 1461 रकबा 0.12 है0 ख0नं0 1462 रकबा 0.31 है0 ख0नं0 1472 रकबा 0.16 है0 ख0नं0 1473 रकबा 0.53 है0

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

ख0नं0 1474 रकबा 0.10 है0 ख0नं0 1476 रकबा 0.03 है0 ख0नं0 1477 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 1483 रकबा 0.71 है0 ख0नं0 1481 रकबा 0.51 है0 ख0नं0 1485 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 1486 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 1593/1480 रकबा 0.14 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 6.77 है0 ग्राम राणोली तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है, जिनमें ख0नं01258, 1260, 1476, 1477, 1593/1480 कुल किता 5 कुल रकबा 0.83 है0 दिनांक 08.09.2008 को सिवायचक खातेदारी राजस्थान सरकार दर्ज की गई है,शेष कृषि भूमियों के प्रार्थीगण एंव प्रति0सं0 10 लगायत 16 एंव दीगर दर्ज खातेदारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। वादग्रस्त आराजियात की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज अन्य खातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने एंव प्रति0सं0 10 ता 16 के अलावा दर्ज अन्य सह खातेदारान मूल खातेदार नहीं होकर मूल सहखातेदार द्वारा पूर्व में समय–समय पर विक्रय करने के कारण राजस्व रिकार्ड में सह खातेदार के रूप में दर्ज हुए है तथा राजस्व रिकार्ड में अविभाजित कृषि भूमियों में स्पेसिफिक पोर्सन का सह खातेदारान विक्रय करने से क्रेतागण कृषि कार्य के अलावा आवासीय एंव दीगर प्रयोजन के लिए काम में लेने लग गये है तथा भू माफिया आवासीय कॉलोनी विकसित करने में लगे हुए है एंव राजस्व रिकार्ड शामलाती होने के कारण भू माफिया गिरोह के लोग फर्जी इकरारनामा आदि तैयार करके जबरन अनाधिकृत कब्जा करने में लगे हुए है। इसके अलावा कई असामाजिक तत्व खाली भूमि देखकर बिना किसी स्वामित्व व खातेदारी के ही जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य करने की अहलानिया धमकी दे रहे है। जिनमें अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 भी सम्मिलित है जिन्होंने ख0नं0 1462 रकबा 0.31 है0 भूमि में प्रार्थीगण एंव प्रति0सं0 10 लगायत 14 के हक अधिकार एंव कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत अतिक्रमण करके निर्माण कार्य करने के कुउद्देश्य से पत्थर एंव निर्माण सामग्री डालने का दिनांक 18.09.2012 को कुप्रयास किया। इस पर प्रार्थीगण ने पुलिस थाना रानोली में अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की शिकायत की। परन्तु उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया ना ही अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के विरूद्ध कार्यवाकी की गई तथा कहा गया कि सक्षम न्यायालय में जाकर स्थगन की कार्यवाही करके स्थगन प्राप्त कर उपतहसीलदार, पलसाना से कार्यवाही करवाओ तथा पुलिस थाना रानोली के नाम न्यायालय का आदेश करवाओ तो ही कार्यवाही कर सकते है अन्यथा नहीं। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के विरूद्ध धारा 92 ए, 188 राज0 काश्त0अधिनियम के तहत वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र अं0 धारा 212 आर0टी0एक्ट न्यायालय हाजा में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 व 3 से 8 बावजूद तामील के हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 2 जरिये वकील आए तथा जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवेदन की मद सं0 1 पेश करना स्वीकार है, शेंष कथन गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 2 में कल्याण सिंह का सजरा खानदान दर्शाया गया है, जो तथ्यात्मक है। प्रार्थी स्वंय सिद्ध करें। मद सं0 3,4 व 5,6 में अंकित किया है कि आवेदन में वर्णित कृषि भूमियां मौके पर अवस्थित है। लेकिन प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त इन भूमियों पर नहीं है। उक्त भूमियों पर आबादी विकसित होकर आबादी बस गई है। वर्तमान ख0नं0 1462 रकबा 0.31 है0 मौके पर आबादी के रूप में बसी हुई है, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 1462 ग्राम राणोली के जागीदार ठाकुर कल्याण सिंह के जागीर की कृषि भूमि थी, जिन्हें कल्याण सिंह ने अपने जीवनकाल में बदन सिंह वल्द रामलाल सिंह राजपूत नि0 रानोली को 200/–रूपये में मिती आसोज बदी सात सवंत् 2010 में विक्रय कर दी थी तथा कब्जा बदन सिंह को दे दिया था जागीर रिज्यूम होने के समय कल्याण सिंह द्वारा प्राप्त किये गये मुआवजे के दस्तावेज में इसका उल्लेख है तथा बदन सिंह के बयान भी उस समय जागीर का मुआवजा निर्धारण के समय अदालत में हुए थे, जिससे स्पष्ट है कि भूमि वर्तमान ख0नं0 1462 इस भूमि के मालिक जागीदार कल्याण सिंह ने बदन सिंह को विक्रय कर दी थी और बदन सिंह ने दिनांक 01.05.1990 को जरिये विक्रय इकरार श्रीमती ओम कंवर धर्मपत्नी जीवराज सिंह राजपूत नि0 हरनाथ सिंह की ढाणी तन रानोली को 3000/– में विक्रय कर दिया था जो काबिज आवास मय विधुत कनेक्शन जिसकी ताईद बाद में राजीनामा दिनांक 14.09.1998 से भी होती है,से भी होती है।प्रार्थीगण की दादी सुशील कंवर ने कृषि भूमियों बाबत कोर्ट में मुकदमा वर्ष 1986 में उनवानी सुशील कंवर बनाम गणेश सिंह वगैरह किया था। भूमि वर्तमान ख0नं0 1462 के पुराने ख0नं0 800 थे के मुकदमें का राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थीगण की दादी प्रार्थीगण के पिता व चाचा के मुकदमा अदम हाजरी में खारिज करवा लिया था। जिससे स्पष्ट है कि भूमि वर्तमान ख0नं0 1462 रकबा 0.31 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण सिंह ने इस भूमि का विक्रय राज0 काश्त0अधिनियम लागू होने से पहले ही कर दिया था। मद सं0 2 में अंकित कृषि भूमियों के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण दावा मेन्टेनेबल नहीं है,खारिज होने योग्य है। भूमि ख0नं0 1462 रकबा 0.31 है0 का विक्रय प्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण सिंह ने आसोज बदी सात संवत् 2010 को आवास के प्रयोजनार्थ बदन सिंह को बेच दी थी। इसका इन्द्राज पट्टा बही जागीरदार कल्याण सिंह है। बाद में बदन सिंह द्वारा ओम कंवर को दिनांक 01.05.1990 को क्रिवय कर दिया, जिस पर ओम कंवर मकान, दूकान बनाकर काबिज आबाद है, विधुत कनेक्शन लगा हुआ है, दिनांक 18.09.2012 को अप्रार्थी सं0 1 ता 6 ने कोई कब्जे का प्रयास नहीं किया, कब्जा पुराना व पुश्तैनी है, जिसकी ताईद जमाबंदी से होती है, जिसमें पैमाईश के समय भी 1462 की किस्म आबादी में अंकित है।इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नाम नहीं है, जबरन कब्जा कर रहे है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रिकॉर्डेड खातेदार होने के नाते पेश किया है। विवाद केवल ख0नं0 1462 पर है। रिपीटल में निवेदन किया कि दस्तावेज वाद से संबंधित नहीं है। वर्तमान ख0नं0 1462 का पुराना ख0नं0 800 ही है,स्वीकार है। परन्तु क्षेत्रफल भिन्न था। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में 100/– रूपये से ज्यादा मूल्य की भूमि को विक्रय करने का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कल्याण सिंह ने भूमि विक्रय की थी। सरकार से मुआवजा भी लिया था। जागीरदारी उन्मूलन एक्ट 1912 की उप धारा 9 में खुदकाश्त की जमीन को खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। आरटीएक्ट 1955 सैक्शन 15 और 19 में खातेदारी अधिकार देकर

अतिरिक्त कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

ट्रांसफरऐबल अधिकार दिये गये थे। बेचान संबंधी दस्तावेज सुनवाई का अधिकार माननीय सिविल कोर्ट को है। स्पेशिक रिलाई एक्ट में दावा दायर करो। बेचान संबंधित दस्तावेज से विक्रय प्रमाणित नहीं हो रहा है। कल्याण सिंह जागीरदार होता तो भूमि काश्त करने वालों के नाम पर होती। स्वामित्व प्राप्त करने हेतु क्या कहीं दावा दायर किया गया। जागीर कमिश्नर के समक्ष आपत्ति करके जागीरदार का नाम हटवा सकते थे। स्वामित्व खातेदारी नहीं होती है। वाद पत्र में प्रभावी नहीं है। प्रार्थी लगातार रिकॉर्डेड खातेदार चला आ रहा है। सुशील बनाम गणेश प्रकरण में कोई राजीनामा दस्तावेज नहीं है। वाद पत्र इसका कोई असर नहीं है। टी0आई0 की स्टेज पर लागू नहीं है, साक्ष्य की स्टेज पर दस्तावेज लागू होगें तथा दावा में डिसाईड होगा। वाद में सह खातेदार को पार्टी नहीं बनाया गया है। स्टेनजर के खिलाफ एक खातेदार भी वाद दायर कर सकता है। बहस के दौरान टी0आई0 कंफर्म किये जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1981 पेज नं0 4, आरआरटी 2009(1) पेज सं0 255, आरआरटी 2001(2) पेज सं0 941 पेश किये।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी सं0 2 का कथन है कि विवाद केवल ख0नं0 1462 का होना स्वीकार है। ख0नं0 1462 आबादी भूमि है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 1462 ग्राम रानोली के जागीरदार ठाकूर कल्याण सिंह के जागीर की कृषि भूमि थी, जिन्हें कल्याण सिंह ने अपने जीवनकाल में बदन सिंह वल्द रामलाल सिंह जाति राजपूत नि0 रानोली को 200/–रूपये में मिती आसोज बदी सात संवत् 2010 में विक्रय कर दी थी तथा कब्जा बदन सिंह को दे दिया था। जागीर रिज्यूम होने के समय कल्याण सिंह द्वारा प्राप्त किये हुए मुआवजे के दस्तावेज में इसका उल्लेख है। बाद में बदन सिंह ने दिनांक 01.05.1990 को जरिये विक्रय इकरार श्रीमती ओम कंवर धर्मपत्नी जीवराज सिंह को विक्रय कर दिया था जो काबिज आवास मय विधुत कनेक्शन है, जिसकी ताईद वाद में राजीनामा 14.09.1998 से भी होती है। प्रार्थीगण की दादी सुशील कंवर ने कृषि भूमियों बाबत कोर्ट में मुकदमा वर्ष 1986 में उनवानी सुशील बनाम गणेश सिंह वगैरह किया था। भूमि ख0नं0 1462 के पुराने ख0नं0 800 थे के मुकदमें का राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थीगण की दादी,पिता व चाचा के मुकदमा अदम हाजरी में खारिज करवा लिया था, जिससे स्पष्ट है कि भूमि वर्तमान ख0नं0 1462 पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण सिंह ने इस भूमि का विक्रय रा0का0अधिनियम लागू होनेसे पहले ही कर दिया था। वाद में अन्य खातेदारों को पार्टी नहीं बनाया है। वादी के नाम खातेदारी है, दावा लाए। प्रार्थी के पूर्वजों को मुआवजा मिल चुका है। इस प्रकार से टी0आई0 खारिज की जाएं।

पत्रावली एंव पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,जवाब प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जाहिर है प्रार्थीगण एंव प्रति0सं0 10 लगायत 16 की वंशावली अनुसार कल्याण सिंह के वारिसान है। इनको अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में प्राप्त विवादित प्रश्नगत कृषि भूमि कुल किता 22 कुल रकबा 6.77 है0 ग्राम राणोली तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है, जिनमें ख0नं01258, 1260, 1476, 1477, 1593/1480 कुल किता 5 कुल रकबा 0.83 है0 दिनांक 08.09.2008 को सिवायचक खातेदारी राजस्थान सरकार दर्ज की गई है,शेष कृषि भूमियों के प्रार्थीगण एंव प्रति0सं0 10 लगायत 16 एंव दीगर दर्ज खातेदारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। वादग्रस्त आराजियात की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज अन्य खातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। माफिया

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

आवासीय कॉलोनी विकसित करने में लगे हुए है एंव राजस्व रिकार्ड शामलाती होने के कारण भूमाफिया गिरोह के लोग फर्जी इकरारनामा आदि तैयार करके जबरन अनाधिकृत कब्जा करने मे लगे हुए है,जिनमें अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 भी सम्मिलित है जिन्होने ख0नं0 1462 रकबा 0.31 है0 भूमि मे प्रार्थीगण एंव प्रति0सं0 10 लगायत 14 के हक अधिकार एंव कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत अतिक्रमण करके निर्माण कार्य करने के कुउद्देश्य से पत्थर एंव निर्माण सामग्री डालने का कुप्रयास करने पर प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को तादौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी सं0 2 द्वारा भी जवाब पेश कर एंव बहस के दौरान निवेदन किया है कि विवाद केवल ख0नं0 1462 का होना स्वीकार है। ख0नं0 1462 आबादी भूमि है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान ख0नं0 1462 ग्राम रानोली के जागीरदार ठाकूर कल्याण सिंह के जागीर की कृषि भूमि थी, जिन्हें कल्याण सिंह ने अपने जीवनकाल में बदन सिंह वल्द रामलाल सिंह जाति राजपूत नि0 रानोली को 200/–रूपये में मिती आसोज बदी सात संवत् 2010 में विक्रय कर दी थी तथा कब्जा बदन सिंह को दे दिया था। जागीर रिज्यूम होने के समय कल्याण सिंह द्वारा प्राप्त किये हुए मुआवजे के दस्तावेज में इसका उल्लेख है। बाद में बदन सिंह ने दिनांक 01.05.1990 को जरिये विक्रय इकरार श्रीमती ओम कंवर धर्मपत्नी जीवराज सिंह को विक्रय कर दिया था जो काबिज आवास मय विधुत कनेक्शन है। भूमि ख0नं0 1462 के पुराने ख0नं0 800 थे के मुकदमें का राजीनामा हो जाने के कारण प्रार्थीगण की दादी,पिता व चाचा के मुकदना अदन हाजरी में खारिज करवा लिया था, भूमि वर्तमान ख0नं0 1462 पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होना बताया है। प्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण सिंह ने इस भूमि का विक्रय रा0का0अधिनियम लागू होनेसे पहले ही कर दिया था। वाद में अन्य खातेदारों को पार्टी नहीं बनाया है। वादी के नाम खातेदारी है, दावा लाए। प्रार्थी के पूर्वजों को मुआवजा मिल चुका है। इस प्रकार से टी0आई0 खारिज करने हेतु अप्रार्थी सं0 2 द्वारा निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा दावा अंतर्गत धारा 92 ए, 188 राज0काश्त0 अधिनियम बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एंव शाश्वत व्यादेश प्रसार्णाथ पेश किया है। पत्रावली में अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जवाब दावा पेश किया जा चुका है तथा तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन चल रही है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 में व अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन पत्र टी0आई0 में उठाये गये बिन्दूओं का निर्णय मूल वाद में अंतिम निस्तारण पर मेरिट के आधार पर किया जाना है। मौके पर वाद विवाद की बहुलता न बढ़े इसलिए न्यायालय दोनों पक्षों को ही मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर